

धारा-1[90 ग.-धारा 90-ख के प्रावधान सभी बैंकों, चाहे वह बीमाकृत हों अथवा नहीं, पर लागू होंगे और यदि रिजर्व बैंक द्वारा इसकी प्रबन्ध कमेटी के अतिक्रमण या इसके परिसमापन या समापन के लिए और समापक की नियुक्ति के लिए परामर्श दिया जाय तो निबन्धक एक माह के भीतर इसे निष्पादित करेगा।”